(वाद सं0.-2140/4/13/2022)

06.11.2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, मो0 नूरऐन हसन (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर) को प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा माह—जनवरी, 2022 से मार्च,2022 तक का मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने व उसे मानसिक एवं आर्थिक रूप से बार—बार प्रताड़ित किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर **जिला पदाधिकारी, जहानाबाद** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, जहानाबाद** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि " मो0 नूरऐन हसन, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, जिला कल्याण कार्यालय, जहानाबाद का लंबित माह—जनवरी,2022 से मार्च, 2022 के बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। मो0 हसन का किसी भी प्रकार का बकाया (मानदेय) लंबित नहीं है, बकाया मानदेय का भुगतान संबंध विवरणी निम्नवत् है :—

क्र0	माह का नाम	UTR No.	Date	बकाया मानदेय की राशि	कुल भुगतेय राशि
1.	जनवरी,2022(25 दिन)	RBI 0802268724357	15.03.2023	28673.00	52798.00
2.	फरवरी,2022(19 दिन)			24125.00	
3.	मार्च,2022	RBI 1232236375244	30.04.2023	35322.00	70644.00
4.	अप्रैल, 2022			35322.00	
5.	जनवरी,2022(06 दिन)	RBI 1292354667670	06.05.2023	6649.00	17846.00
6.	फरवरी,2022(09 दिन)			11197.00	

उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि अब उनका किसी माह के मानदेय का भुगतान, प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद के पास लंबित नहीं है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संतोषजनक समाधान हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से **संचिकास्त** किया जाता है।

आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए **परिवादी** को तद्नुसार, सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव